राजस्थान सरकार
कार्यालय, आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान
स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम जयपुर

क्रमांक– एच/एफएसएसए/2011/ 612 दिनांक 3/10/11

–:परिपत्र:–

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन–राजस्थान

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– दीपावली के अवसर पर दिनांक 18.10.11 से 28.10.11 तक विशेष अभियान चलाकर खाद्य पदार्थो के नमूनीकरण बाबत।

विषयान्तर्गत दीपावली त्यौहार पर खाद्य पदार्थो की मांग/खपत बढने के कारण बाज़ार में खाद्य सामग्रियों के अभाव के कारण अनेक निर्माता/व्यापारियों द्वारा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो की बिक्री बाजार में किये जाने की सम्भावना को रोकने तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो की बिक्री पर प्रभावी अंकुश/नियंत्रण हेतु आप अपने सम्भाग/जिलों में विभाग द्वारा दिनांक 18.10.11 से 28.10.11 तक विशेष अभियान चलावें। अभियान में कार्यवाही हेतु एक सुंयक्त दल का गठन किया जावे जिसमें एक विभागीय अधिकारी, दो खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व वाहन मय वाहन चालक रखा जावे। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नमूनीकरण कार्यवाही हेतु सभी अभिहित अधिकारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्लिप व अन्य सामग्री आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायी जावे। जिले/सम्भाग में गठित दल को प्रतिदिन 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण व 5 नमूनीकरण का लक्ष्य आवंटित किया जा रहा है। जिसकी पूर्ति प्रतिदिन सुनिश्चित की जावे व रिपोर्ट प्रतिदिन नियमित रूप से सायंकाल को निदेशालय के फैक्स नम्बर 0141–2224831 पर आगे वर्णित प्रपत्र में भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही अभियान में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

1. अभियान में दूध, मावा व मावे से निर्मित मिठाई, पनीर के निर्माण व बिक्री स्थलों की विशेष रूप से जांच कर नमूनीकरण की कार्यवाही की जावे। किसी भी प्रतिष्ठान पर मिलावटी/दूषित/कृत्रिम घी, मावा, दूध, पनीर, दूध व दूध से निर्मित खाद्य /पेय पदार्थ, ड्राईफ्रूट्स, मसाले, आटा आईसक्रीम, चाय लोकल टॉफिया, बिस्कुट, सुपारी, अचार, इत्यादि पाये जाने पर उसमें से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नमूनीकरण की कार्यवाही कर शेष सामग्री स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालने वाली पायी जाने पर उसे नष्ट करवाने के साथ–साथ संबंधित व्यक्ति/फर्म के विरूद्ध फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट–2006 के तहत कार्यवाही की जावें।
2. जिले में अन्य स्थानों से बिक्री हेतु आने वाले घी, मावा, पनीर, दूध आदि की विशेष निगरानी रखी जावें तथा जिन रास्तों से उक्त माल आता है उन पर पुलिस के माध्यम से सतत् निगरानी रख कर आने वाले पदार्थो की जांच कार्यवाही की जावें।

3. बाजार में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन कर निर्माता/उत्पादकों द्वारा बिना दिनांक अंकित किये खाद्य पदार्थ बेचते हुये पाये जाने पर उनके द्वारा किये जा रहे नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए ऐसे खाद्य पदार्थो के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जांच हेतु लिये जावें व ऐसी सामग्री के निर्माता/विक्रेता को खाद्य सामग्री बेचने से रोकने लिए पाबंद किया जावे व उपलब्ध सामग्री को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नमूनीकरण पश्चात नष्ट करवाते हुए व्यापारी के लाईसेन्स निरस्त करवाया जावें। इस प्रकार की सामग्री बाजार में जांच के दौरान बिकते हुए पाये जाने पर क्षेत्र में पदस्थापित खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ अभिहित अधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

4. प्रतिष्ठित तथा अच्छे स्तर की कम्पनियों के नाम से बाजार में डुप्लीकेट खाद्य सामग्री बेची जा रही है जिस पर जांच के माध्यम से पूर्ण अंकुश लगाया जावें व इस प्रकार की सामग्री विक्रय होते पाये जाने पर उसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत नमूना जांच हेतु लेकर संबंधित सामग्री को सीज कर व्यापारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावे।

5. वनस्पति/तेल में सस्ते व घटिया स्तर के तेल की मिलावट की शिकायते प्राप्त होती रहती है। अतः वनस्पति/तेल के उत्पादकों के प्रतिष्ठानों की जांच कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नमूनीकरण की कार्यवाही करवाये तथा नमूना मिलावटी पाये जाने पर लाईसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावें।

6. विदेश चाकलेट एवं बिस्कुट जिन एक्सपायरी तिथि अंकित न हो, को नष्ट करवाया जावे तथा आयातित स्थानों से ऐसी खाद्य सामग्री के निकास पर रोक की कार्यवाही की जावें।

7. राज्य में सिंथेटिक दूध के निर्माण एवं बिक्री तथा देशी घी में मिलावट की सूचनाएं आये दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। अतः सिंथेटिक दूध के निर्माण और बिक्री रोकने हेतु नियमित रूप से सम्भावित संस्थानों/संग्रहण केन्द्रों की जांच की जावे तथा घी उत्पादकों की भी नियमित रूप से जांच की जावे। किसी भी क्षेत्र सिंथेटिक/मिलावटी घी विक्रय होते हुए पाये जाने पर क्षेत्र में पदस्थापित खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ-साथ अभिहीत अधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

8. अभिहीत अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि मिलावट की रोकथाम हेतु गठित दल संभाग/जिले के अन्तर्गत आने वाले सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का नियमित रूप से भ्रमण कर नमूनीकरण का कार्य सम्पन्न करायेंगे। तथा गठित दल को निर्देशित किया जावे कि विशेष परिस्थितियों को छोडकर एक प्रतिष्ठान से दो से अधिक नमूने नहीं लिए जावेंगे।

सभी खाद्य पदार्थो की बिक्री खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के निर्धारित मापदण्ड अनुसार सुनिश्चित की जावें तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में स्लिप व नमूनीकरण सामग्री उपलब्ध करवाते प्रत्येक दल को प्रतिदिन 10 निरीक्षण व 5 नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत लेने के आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जावें। लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध भी सीसीए नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी ।

क0 सं0	दिनांक	खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम	लिये गये नमूने का विवरण	एफएसएसए के अन्तर्गत जाचं हेत लिये गये नमूनों की संख्या	जांच किये गये दूध संग्रहण केन्द्रों का विवरण	राज्य/ जिले की सीमाओं पर किये गये कार्य का विवरण	निरीक्षण किये गये प्रतिष्ठान ों का विवरण	नष्ट करवाये गये /सीज किये गये माल का विवरण	लाईसेन्स निरस्तीकरण के लिए अनुसंशित प्रकरणों की संख्या

नोटः– प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये नमूनों का विवरण पृथक–पृथक अंकित किया जावे।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

कमांक– एच/एफएसएसए/2011/ 612 दिनांक 3/10/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर